



राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता (टी एंड सी) रा. रा. वि. प्र. नि. लि., हनुमानगढ़

क : राराविप्रनिलि & अधि. अभि. धी - सी & हनुमानगढ़ & प्रे. दिनांक 12.11.2024

श्रीमान उप वन संरक्षक
श्री गंगानगर (राज0)

विषय : 220 KV सूरतगढ़-पदमपुर पारेषण लाइन के निर्माण हेतु अनापति प्रमाण पत्र जारी करने बाबत।

सन्दर्भ : श्रीमान उप वन संरक्षक ए श्रीगंगानगर पत्र क्रमांक संख्या 6923 दिनांक 25.09.2024.

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि 220 KV सूरतगढ़-पदमपुर पारेषण लाइन का निर्माण कार्य राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लि. द्वारा किया गया था। इस कार्य के निर्माण हेतु तत्कालीन सहायक अभियन्ता -ए सूरतगढ़ द्वारा पत्र क्रमांक 537 दिनांक 27.01.2011 अनापति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन किया गया उस समय ऑफलाइन आवेदन ही प्रेषित किये जाते थे।

इस संदर्भ में आपके पत्र क्रमांक 6749 दिनांक 19.09.2011 की पालना में राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लि. के अधिकारी व क्षेत्रीय वन अधिकारी सूरतगढ़ श्री मान मोहमद रफीक के साथ दिनांक 20.02.2012 को संयुक्त निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गयी थी कि इस लाइन में किसी प्रकार का वन भूमि नहीं होना पाया गया था ए तत्पश्चात राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लि. के कर्मचारियों & अधिकारियों ने कई बार आपके कार्यालय में संपर्क किया लेकिन अनापति प्रमाण पत्र जारी नहीं हुआ।

दिनांक 15.07.2014 के बाद आपके कार्यालय का समस्त कार्य ऑनलाइन शुरू हो गया आपके विभाग ने उक्त प्रकरण के संबंध में कोई सूचना नहीं दी। उस दौरान राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लि.ए के द्वारा राष्ट्र हित में निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया। तत्कालीन सहायक अभियन्ता-1ए सूरतगढ़ मय अधिशाषी अभियन्ता कार्यालय बीकानेर स्थानांतरित हो गया।

तदोपरांत आपके विभाग द्वारा सूचना प्राप्त हुई की राराविप्रनिलि द्वारा वन नियमों का उल्लंघन हुआ है। इस बाबत यह सूचित किया गया कि लाइन के निर्माण कार्य के दौरान मध्य में पड़ने वाली नहरों के साथ की भूमि वन विभाग की है एवं इस भूमि का प्रत्यावर्तन किया जाना जरूरी है तथा इस हेतु 1.3407 हेक्टेयर वन भूमि का प्रत्यावर्तन किया जाना था।

इस हेतु Parposal No.FP/RJ/Trans/30091/2017 के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किया गया और उसके बाद श्रीमान उपवन संरक्षक श्रीगंगानगर द्वारा मौका निरीक्षण किया गया।

अतः निवेदन है कि उक्त प्रकरण में उपरोक्त तथ्यों को मध्येनजर रखते हुए सहानुभूति रखते हुए प्रकरण का निस्तारण करने की कृपा करें।

अधिशाषी अभियन्ता (टी एण्ड सी)

राराविप्रनिलि हनुमानगढ़

प्रतिलिपी:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. श्रीमान अधीक्षण अभियन्ता (T&C/QC, Inspection & Monitoring) रा.रा.वि.प्र.नि.लि, हनुमानगढ़/जयपुर।
2. श्री मान क्षेत्रीय वन अधिकारी, श्रीगंगानगर।
3. श्रीमान सहायक अभियन्ता (टी एण्ड सी) रा.रा.वि.प्र.नि.लि, हनुमानगढ़।

